

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2015/ज्येष्ठ 26, 1937

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 42

No. 72]

DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2015/JYAISTHA 26, 1937

[N.C.T.D. No. 42

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून, 2015

फा. सं. 1(25)/अधीक्षक (पीओएस/एसएचबी)/2014-15/10980-995.—अधिसूचना सं. एफ. न.61(95)/पीओएस/ऐडी-1/डीडब्ल्यूसीडी/2009/42098-121ए दिनांक 23.3.2010 के अधिकरण किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम (2000 का 56) तथा अधिसूचना सं. न. 61(2)/डी ओ 1/डीएसडब्ल्यू/2001/2832-2891, दिनांक 26 मार्च, 2003 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत, मैं, निदेशक, महिला एवं बाल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को रखने के लिए निम्नलिखित गृह/स्थान घोषित करती हूँ :—

क्र. सं.	संस्था का नाम एवं पता	किशोर न्याय की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, 2000	संस्था का नया पता
1.	स्पेशल होम फोर बोएज(एसएचबी) 1, मैगजिन रोड, दिल्ली(बाए हिस्से)	9(1)	दायां भाग बोएज (एनेक्सी) का एवं प्रेक्षण घर की मध्य ईमारत में
2.	प्लेस ऑफ सफटी (पीओएस), 1, मैगजिन रोड, दिल्ली (मध्य भाग)	12(3)	उत्तर दिशा की ओर दायां भाग
3.	आधारशिला ओबजरवेशन होम फोर बोएज एनेक्सी ओएचबी (दायां भाग)	8(1)	अधीक्षक के कार्यालय 1, मैगजिन रोड, के पास दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
और उनके नाम पर,
सौम्या गुप्ता, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2015

F. No. 1(25)/Supdt.(POS/SHB)/2014-15/10980-995.—In supersession of notification No. F. 61/95/POS/AD-1/DWCD/2009/42098-121, dated 23.03.2010 and in pursuance of the power delegated vide Notification No. F. 61(2)/DO-1/DSW/2001/2832-2891, dated 26th March, 2003, under Section 66 of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, (56 of 2000), I, Director, Women & Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby declare the following premises/building for the purpose for accommodating juveniles in conflict with law.

Sl. No.	Name of Institution with present address	Under Section of Juvenile Justice (Care & Protection) Act, 2000	New Address of the Institution
1.	Special Home for Boys (SHB) 1, Magazine Road, Delhi (Left Portion)	9 (1)	In the middle building flanked by Place of Safety on right & OHB (Annexe) on left
2.	Place of Safety (POS), 1, Magazine Road, Delhi (Middle Portion)	12 (3)	Right end portion towards North direction
3.	Adharshila Observation Home for Boys Annexe OHB (Right Portion), 1, Magazine Road, Delhi	8 (1)	OHB(Annexe) adjacent to Office 1, Magazine Road, Delhi

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SAUMYA GUPTA, Director

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून, 2015

सं. फा. 5(245)/वाद/15/डी एस 2 लॉ/2052-62.—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उप-धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा/या भारत संघ द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यालयों के विषय में और/या जिन लोक अधिकारियों के बचाव के दायित्व उस पर है उसके द्वारा या विरुद्ध किसी वाद, रिट याचिका, अपील या अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को सरकारी वकील (प्लीडर)/पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम
1	आरती बंसल
2	अमित सिंह
3	अमरेश माथुर
4	अंकुर छिब्र
5	अर्जुन मित्रा
6	अश्विनी गर्ग
7	अवतार सिंह भगलोटा
8	बेला खट्टर चौहान
9	डी. राजेश्वर राव
10	दीपताकृति वर्मा

2.650DQ/15-18

11	देवेन्द्रा डेढा
12	देवव्रत
13	डॉ. राकेश गोसाई
14	गौरव वर्मा
15	गुरमान चहल
16	गुरशरण सिंह
17	हेम कुमार
18	इकरांत शर्मा
19	इरम गाजिद
20	ईशा खन्ना
21	जयवीर
22	जयेन्द्रा
23	ज्योति तनेजा
24	खालिद अरशद
25	किरन सिंह
26	कुश शर्मा
27	महाबीर सिंह
28	मनिका त्रिपाठी पांडे
29	मनमीत सिंह अरोड़ा
30	मिशा रोहतगी मोहता
31	मुकेश कुमार सिंह
32	नौनिध अरोड़ा
33	नवीन कुमार शर्मा
34	नीलम सिंह
35	नेहा ररतोगी
36	निधि रमन
37	पंकज सिन्हा
38	प्रभासहाय कौर
39	प्रमोद सहगल
40	पुनीत सिंह
41	आर. के. अलध
42	राघव कुमार तिवारी
43	राघविन्द्रा पांडे
44	राहुल बक्शी
45	राहुल शर्मा
46	राज कुमार शहरावता
47	राज कुमार यादव
48	रजता मल्होत्रा
49	रवि चतुर्वेदी
50	ऋषिकेश कुमार

51	रोमा भगत
52	साहिला लाम्बा
53	राजिन नाहर
54	साक्षी पोपली
55	संग्राम सिंह
56	संजय देवान
57	सौरभ चड्ढा
58	शाहदन फरासत
59	शरत कपूर
60	सिद्धार्थ देता
61	सिद्धार्थ शंकर राय
62	सोनीग गुप्ता
63	सुमर कुमार सेठी
64	सुमित अग्रवाल
65	सुमित कुमार बत्रा
66	सुनिल गोयल
67	सुनिता बंसल
68	रवाते सिंह मलिक
69	स्वीटी सिंह
70	उदिता गुप्ता
71	उत्तम दत्त
72	वरुण निश्चल
73	विकास शौकीन
74	विक्रान्त नारायण वासुदेवा
75	विनोद कुमार माथेल
76	विरेन्द्र कुमार वत्स
77	विवेक सिंहल

1. ये नियुक्तियाँ समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों के अधीन होंगी।
2. यह अधिसूचना तत्काली प्रभावी होगी और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी।
3. इस अधिसूचना से इस विषय की सभी पिछली अधिसूचनाएँ तत्काल अधिक्रमित हो जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

आर. किरण नाथ, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2015

No. F. 5(245)/Lit./15/DS 2Law/2052-62. In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 2 of Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following advocates as Government Pleaders/Panel Advocates for the High Court of Delhi, in relation to any suit, writ petition, appeal or other proceedings by or against the Government of NCT of Delhi

and/or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and/or Public Officer(s) whose defence has been undertaken by it, namely :

Sl. No.	Name of Advocate
1	Aarti Bansal
2	Amit Singh
3	Amresh Mathur
4	Ankur Chhibber
5	Arjun Mitra
6	Ashwini Garg
7	Avtar Singh Bhamlot
8	Bela Khatar Chauhan
9	D. Rajeshwar Rao
10	Deeptakriti Verma
11	Devendra Dedha
12	Devvrat
13	Dr. Rakesh Gosain
14	Gaurav Verma
15	Gurman Chahal
16	Gursharan Singh
17	Hem Kumar
18	Ikrant Sharma
19	Iram Majid
20	Isha Khanna
21	Jaiveer
22	Jayendra
23	Jyoti Paneja
24	Khalid Arshad
25	Kiran Singh
26	Kush Sharma
27	Mahabir Singh
28	Manika Tripathi Pandey
29	Manmeet Singh Arora
30	Misha Rohatgi Mohta
31	Mukesh Kumar Singh
32	Naumidh Arora
33	Naveen Kumar Sharma
34	Neelam Singh
35	Neha Rastogi
36	Nidhi Raman
37	Pankaj Sinha
38	Prabhsahay Kaur
39	Pramod Sehgal
40	Puneet Singh
41	R. K. Alagh

42	Raghav Kumar Tiwari
43	Raghvendra Pandey
44	Rahul Bakshi
45	Rahul Sharma
46	Raj Kumar Sherawat
47	Raj Kumar Yadav
48	Rajat Malhotra
49	Ravi Chaturvedi
50	Rishikesh Kumar
51	Roma Bhagat
52	Saahila Lamba
53	Sachin Nahar
54	Sakshi Popli
55	Sangram Singh
56	Sanjay Dewan
57	Saurabh Chadda
58	Shahdan Farasat
59	Sharat Kapoor
60	Siddharth Dutta
61	Siddharth Shankar Ray
62	Sonam Gupta
63	Sumer Kumar Sethi
64	Sumit Agarwal
65	Sumit Kumar Batra
66	Sunil Goel
67	Sunita Bansal
68	Swaty Singh Malik
69	Sweety Singh
70	Udit Gupta
71	Uttam Dutt
72	Varun Nischal
73	Vikas Shokeen
74	Vikrant Narayan Vasudeva
75	Vinod Kumar Goyal
76	Virender Kumar Vais
77	Vivek Singhal

1. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.
2. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.
3. This notification shall supersede all earlier notifications on the subject with immediate effect.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

R. KIRAN NATH, Principal Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून 2015

सं. फां. 6/31/97-न्याय/पार्ट फाईल/एसयूपीटीलॉ/462-468.—अद्यतन यथा संशोधित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1970 के उपबंधों के अनुसारण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्न अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित आधार पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त/पदोन्नत/पुनर्नियुक्त करते हैं।

1. श्री विपिन कुमार राय की दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा पर नियुक्ति, नियमित आधार पर (नोशनली) उस तिथि से जब उनके तत्काल कनिष्ठ दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा पर नियुक्त किये गए थे एवं वास्तविक में जिस तिथि से वे कार्यालय का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा उनको दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा पर उस तिथि से दो साल के लिए परिवीक्षा में रखने के लिए।
2. सर्वश्री समीर बाजपेयी तथा देवेंद्र कुमार शर्मा की दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा पर नियुक्ति तदर्थ आधार पर (नोशनली), उस तिथि(यों) से जब उनके तत्काल कनिष्ठ दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा पर नियुक्त किये गए थे एवं वास्तविक में जिस तिथि से वे कार्यालय का प्रभार ग्रहण करेंगे, तथा
3. सर्वश्री सतीश कुमार, ललित कुमार तथा रविंदर सिंह -1 की दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा पर पुनर्नियुक्ति तदर्थ आधार पर क्रमश दिनांक 15.02.2014, 01.05.2014 तथा 01.07.2014 से।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर

विक्रान्त वैद, अतिरिक्त-सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2015

No. F.6/31/97-Judl./Pt.file/Suptlaw/462-468.—In pursuance of the provisions of Delhi Higher Judicial Service Rules 1970, as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint/promote/re-appoint the following officers in Delhi Higher Judicial Service on the basis as mentioned against their names:-

1. Appointing Shri Vipin Kumar Rai to Delhi Higher Judicial Service on regular basis, notionally, w.e.f. the date his immediate junior in Delhi Judicial Service was appointed to Delhi Higher Judicial Service and actually w.e.f. the date he assumes charge of the office and to place him on probation in the Delhi Higher Judicial Service initially for a period of two years from the said date;
2. Appointing S/Shri Sameer Bajpai and Devendra Kumar Sharma to Delhi Higher Judicial Service on ad-hoc basis, notionally, w.e.f. the date(s) their immediate juniors were appointed to Delhi Higher Judicial Service and actually w.e.f. the date they assume charge of the office; and
3. Re-appointing S/Shri Satish Kumar, Lalit Kumar and Ravinder Singh-I to Delhi Higher Judicial Service on ad-hoc basis w.e.f. 15.02.2014, 01.05.2014 and 01.07.2014, respectively.

By order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

VIKRANT VAID, Addl. Secy.